





# ...तो इस तरह ईमानदार और डिफाल्टर व्यापारियों की पहचान आसानी से हो सकेगी

प्रयगराज। एजेंसी

ईमानदार और समय के पांबंद व्यापारियों के लिए खुशखबरी है। उनके लिए जीएसटी काउंसिल ने नई पहल की है। नई पहल यह है कि जो व्यापारी समय से रिटर्न जमा करें, उनकी अब ग्रेडिंग की जाएगी। जल्दी ही यह व्यवस्था जीएसटी पोर्टल पर लागू कर दी जाएगी। जीएसटी काउंसिल स्तर पर इसकी तैयारी भी हो रही है। ऐसा करने से अच्छे और डिफाल्टर व्यापारियों की पहचान आसानी से हो सकेगी। वहीं कारोबारियों को आइटीसी (इन्युट टैक्स क्रेडिट) का लाभ लेने में परेशानी नहीं होगी।

**एक से 10 नंबर तक ग्रेडिंग तय की जाएगी**

मौजूदा समय में किसी कारोबारी से व्यापारी द्वारा माल खरीदने पर उसे आइटीसी का लाभ मिलने का प्रवधान है। इसके लिए माल

खरीदने और बेचने वाले व्यापारियों को रिटर्न (जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी) जमा करना जरूरी है। माल बेचने वाला रिटर्न नहीं जमा करेगा तो खरीदने वाले कारोबारी आइटीसी का लाभ नहीं पाएंगे। व्यापारियों की ओर से इस संबंध में शिकायत लगातार वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों और जीएसटी काउंसिल में की जाती रही है। इस समस्या के निराकरण के लिए व्यापारियों की ग्रेडिंग का निर्णय जीएसटी काउंसिल ने लिया है। एक से 10 नंबर तक ग्रेडिंग तय की जाएगी।

**आप भी जानें इस आधार पर होगी ग्रेडिंग**

● व्यापारी लगातार समय से रिटर्न जमा कर रहा है कि नहीं

● कर अपवर्चन (चोरी) में कोई कार्रवाई हुई है अथवा नहीं

● कभी माल पकड़ा गया या नहीं

● कभी फर्म में सर्वे हुआ या नहीं।

**सर्विस संबंधी पोर्टल पर 'नो योर सप्लायर' ऑफेन होगा**

व्यापारियों की ग्रेडिंग की जानकारी के लिए पंजीकृत कारोबारियों को जीएसटीएन की ओर से सर्विस संबंधी पोर्टल पर एक अलग ऑफेन 'नो योर सप्लायर' मुहैया कराया जाएगा। इस पर विलक्षण करते ही अच्छे और डिफाल्टर व्यापारियों का सारा ब्योग सामने होगा। इससे व्यापारी डिफाल्टर कारोबारियों से माल लेने से बच सकेंगे और उन्हें आसानी से आइटीसी का लाभ मिल सकेगा।

**कंप्यूटर की भाषा में**

**यह है रेडियो बटन**

वाणिज्य कर विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक सर्विस संबंधी जो भी ऑफेन व्यापारियों को मुहैया कराए गए हैं। कंप्यूटर की भाषा में उसे रेडियो बटन कहा जाता है।

**सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 का जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई**

नयी दिल्ली। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न और ऑफिटर रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा को एक महीने बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईटी) ने ट्रैटीट किया, "आदर्श आचार संहिता के मदेनजर चुनाव आयोग से उचित मंजूरी हासिल करने के

**चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की मांग**

चार्टर्ड एकाउंटेंट निकाय भारतीय सनदी लेखकर संस्थान



बाद सरकार ने जीएसटीआर-9

और जीएसटीआर-9सी के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तरीख को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है।" इससे पहले सरकार ने मई में 2018-19 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को सितंबर 2020 तक तीन महीने के लिए बढ़ाया था। आईसीएआई का बदलाना रिटर्न भरने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर करने का आग्रह किया था। आईसीएआई का बदलाना था कि ज्यादातर अधिकारी कोविड-19 महामारी के कारण आंशिक रूप से से काम कर रहे हैं। आईसीएआई ने इसकी समयसीमा 3 महीने बढ़ाने की मांग की थी लेकिन सरकार ने इसे एक महीने आगे बढ़ाया है।

# मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया ने 5वें 'ऑन बिजनेस डे' की घोषणा की

**छोटे और स्वतंत्र व्यवसायों के प्रति अपनी वरचनबद्धता को दोहराते हुए**

इंदौर। भारत के सबसे बड़े मॉडर्न होलसेलर और फुल स्पेशलिस्ट, मेट्रो कैश एंड कैरी, अपने पांचवें 'ऑन बिजनेस डे' (ओवीडी) पर छोटे और लघु व्यवसायों के लिए अनेक डिजिटल समाधान ला रहा है। 'ओन बिजनेस डे' हर वर्ष अक्टूबर के दूसरे मंगलवार (13 अक्टूबर) को मनाया जाने वाल विशेष दिन है। सभी स्वदंत्र ऑन बिजनेसें डे' के भाग लेने हेतु पंजीकरण पहले ही शुरू हो चुका है। इस पहल के तहत, कंपनी द्वारा छोटे व्यवसायों और किराना दुकानों को उनके बिजनेस गूगल पर सूचीबद्ध करने के लिए सहायता दी जा रही है, ताकि वो अपने व्यउवसाय की दृश्यता, राजस्व एवं फुटफॉल्स बढ़ा सकें। आगामी त्योहारी मौसम में स्वयं को तैयार रखने हेतु किराना दुकानों को विशेष ऑफर्स देने के लिए अपने स्वाक्षर व्यवसायों को उनके खातों को खातों की फारेंसिंक जांच शुरू होने के बारे में जानकारी देनी होगी। निदेशक मंडल ने इसके साथ ही कार्पोरेट बॉर्ड बाजार में रेपो खरीद फोरेखा को बढ़ावा देने के लिए 'लिमिटेड परपेट रिप्पोर्टिंग कार्पोरेशन' की स्थापना के प्रसातक को भी मंजूरी दी दी। सेबी निदेशक मंडल की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि सूचीबद्ध कंपनियों को उनके खातों में फारेंसिक आइट कार्पोरेशन का नाम और फारेंसिक आइट होने की वजह भी शेयर बाजारों को बतानी होगी। इसके साथ ही कंपनियों को नियामकीय अथवा प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा फारेंसिक आइट रिपोर्ट प्राप्त होने की पूरी जानकारी भी शेयर बाजारों को उपलब्ध करानी होगी।

**सूचीबद्ध कंपनियों को खातों की फारेंसिंक जांच शुरू होने की सूचना देनी होगी: सेबी**

नयी दिल्ली। एजेंसी

सूचनाओं की उपलब्धता में खामी को दूर करते हुये पूर्ण बाजार नियामक सेबी के निदेशक मंडल ने मंगलवार को यह फैसला किया कि सूचीबद्ध कंपनियों को उनके खातों की फारेंसिंक जांच शुरू होने के बारे में जानकारी देनी होगी। निदेशक मंडल ने इसके साथ ही कार्पोरेट बॉर्ड बाजार में रेपो खरीद फोरेखा को बढ़ावा देने के लिए 'लिमिटेड परपेट रिप्पोर्टिंग कार्पोरेशन' की स्थापना के प्रसातक को भी मंजूरी दी दी। सेबी निदेशक मंडल की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि सूचीबद्ध कंपनियों को उनके खातों में जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही कंपनियों को नियामकीय अथवा प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा फारेंसिक आइट रिपोर्ट प्राप्त होने की पूरी जानकारी भी शेयर बाजारों को उपलब्ध करानी होगी।



**विज्ञापन के लिए संपर्क करें।**

**83052-99999**

[indianplasttimes@gmail.com](mailto:indianplasttimes@gmail.com)





# इंडियन प्लास्ट टाइम्स

# सभी को सिकुड़ी हुई या ब्लॉक ब्लड वैसल्स के उपचार के रूप में एंजियोप्लास्टी के बारे में जानना चाहिए

इंदौर। भारत में कोरोनारी आर्टी रोग (सीएडी) की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसका कारण फैट, नमक और चीनी से भरपूर आहार का सेवन, शारीरिक व्यायाम की कमी, बहुत अधिक धूप्रयापन, शाखा का सेवन और हाई लेवल स्टेस लेना है। कहने का मतलब है, इसके लिए हमारे द्वारा अपनाया गया अनहेल्डी लाइफस्टाइल जिम्मेदार है। विश्व हृदय दिवस पर, इससे बचने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने की तुरंत आवश्यकता है।

एक या एक से अधिक आर्टी के सिकुड़ने से हृदय को खून पहुंचाने में ज्यादा महत्व, ज्यादा दबाव झोलना पड़ता है, जिसे एथेरोस्कलरोसिस कहा जाता है। यह विश्व तब होती है जब एक मोम जैसा पदार्थ आर्टी के अंदर बनता है, जिससे खून का बहाव रुक जाता है। समय के साथ, रुकावट बढ़ती जाती है, जिससे एनजाइना और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।

एंजियोप्लास्टी, जिसे पर्कुनियस कोरोनरी इंटरवेंशन के रूप में भी जाना जाता है, ब्लॉक आर्टी का

खोलने के लिए एक सुरक्षित और अनुशंसित उपचार विकल्प है। इसमें एक छोटा बैलून कैथेटर को ब्लॉक ब्लड वैसल में डाला जाता है ताकि इसे चोड़ा किया जा सके और हृदय में खून के बहाव को बेहतर बनाया जा सके। इसे आमतौर पर एक छोटे तार जाल टॉबू के साथ जोड़ा जाता है जिसे स्टेंट कहते हैं। यह प्रक्रिया पैर के माध्यम से या कलाई के माध्यम से की जा सकती है। कलाई द्वारा एंजियोप्लास्टी करने से आपको बेचीनी कम होती है और अस्पताल में आपके कम से कम समय तक रहने की उम्मीद बढ़ती है, जो मौजूदा हालत में बहुत महत्व रखता है।

इस बारे में बात करते हुए, डॉ. सरिता राव, वरिष्ठ सलाहकार और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, अपोलो राजश्री अस्पताल, इंदौर ने कहा, एंजियोप्लास्टी एक अनुशंसित उपचार विकल्प है। यदि रोगी के स्वास्थ्य में दबावों और जीवन शैली में बदलाव करने के बाद भी सुधार नहीं हो रहा है, और रोगी छाती में दर्द का अनुभव कर रहा है तो रोगी को दिल का



- डॉ. सरिता राव (वरिष्ठ सलाहकार और इंटरवेंशनल हृदय रोग विशेषज्ञ - अपोलो राजश्री अस्पताल, इंदौर)

अस्थीकारकरण - लेख में दी गई सभी जानकारी केवल एक सामान्य अवलोकन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लेखक द्वारा व्यक्त किए गए स्वतंत्र विचार हैं।

बौद्धि पड़ा है।'

यह प्रक्रिया सुरक्षित हैंकिर भी इसमें कुछ जोखिम तो है ही, जैसे कि आर्टी का फिर से सिकुड़ जाना, खून के थक्के और पैर या हाथ से खून बहना, जहां एक कैथेटर डाला गया था। उन्होंने आगे कहा 'नोवेल कोरोनरी इंटरवेंशन डिवाइस' के विकास के साथ जैसे कि स्मॉल कोरोनरी इंटरवेंशन डिवाइस के विकास को लागू करने में मदद करते हैं। वे आर्टी को खोलने और फिर से उसके सिकुड़ने की संभावना को कम करने में मदद करते हैं। वे आर्टी को खुला रखने के लिए एक दवा साथ में डालते

बजह से खून बहने समेत एंजियोप्लास्टी की वजह से समस्या काफी कम देखी गई है।

नए यूएसएफडी द्वारा मान्यता प्राप्त ड्रग-एल्ट्राइंग स्टेंट का विकास इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में विकास कर रहा है। ये आर्टी को खोलने और फिर से उसके सिकुड़ने की संभावना को कम करने में मदद करते हैं। वे आर्टी को खुला रखने के लिए एक दवा साथ में डालते

हैं और डायबिट्रीज, हाई ब्लीडिंग रिस्क जैसी जटिलताओं के उन रोगियों में सुरक्षित उपयोग के लिए अच्छी तरह से अध्ययन किया जाता है। इन्हें एंजियोप्लास्टी के एक महीने बाद दवा रोकी पड़ सकती है।

हृदय रोग के कुछ सामान्य लक्षण जिनके विषय में आपको पता होना चाहिए :

थकान : यह कई वीमारियों और दवाओं के कारण हो सकता है। हालांकि, लगातार थकान कभी-कभी हार्ट फैल (ऐसी स्थिति जिसमें दिल अच्छी तरह से पंप करने में विफल रहता है) या कोरोनरी आर्टी रोग का संकेत हो सकता है।

दर्द : हृदय रोग से संबंधित दर्द हमेशा छाती में महसूस नहीं होता।

यह कभी-कभी कधे, हाथ, पीठ, जबड़े या पेट में हो सकता है। यदि इन क्षेत्रों में दर्द होता है और आराम के साथ गाब हो जाता है, तो यह हृदय रोग का संकेत हो सकते हैं।

सांस लेने में कठिनाई : शारीरिक गतिविधि के साथ सांस लेने में हो रही परेशानी की दिल संबंधी रोग का संकेत हो सकती है।

सूजे हुए पैर या टखने : पैर,

टखने या पैर में सूजन दिल की बीमारी का संकेत हो सकती है। सूजे हुए क्षेत्र को दबाने पर, यदि एक इंटर्वेंशन होता है, तो डॉक्टर से संपर्क करें।

घबराहट : पैलिट्रेशन को दिल की धड़कन के रूप में बताया जाता है जो कभी भी या तेज महसूस होता है। ज्यादातर पैलिट्रेशन नक्सान नहीं करती है। वे चिंता, कैफीन का सेवन या डिहाइड्रेशन के कारण हो सकती हैं। हालांकि, कभी-कभी पैलिट्रेशन दिल की समस्या का संकेत होती है।

वायरस के तेज़ प्रभाव के आधार पर महामारी की इस समय के दौरान जोखिम हैं कि वायरल संक्रमण कोरोनरी आर्टी में एथेरोस्कलरोटिक जैमें हुए फैट के टूटने का कारण बन सकता है, जिससे तेज़ नक्सान की संभावना होती है। यदि आपको भी यह संदेह है, तो देरी न करें। जिन लोगों को कोरोना वायरस के लक्षणों के दौरान सीन में गंभीर दर्द या और कोई अनुभव होता है, उन्हें तुरंत हेल्प केरेए एडवाइजीटी को फोन करना चाहिए।

## RBI से बैंकों को एक और राहत इस नियम को 6 महीने के लिए टाला गया

नई दिल्ली। एजेंसी

बैंकों को राहत देते हुए रिज़बैंक ऑफ इंडिया ने संरक्षित पूंजी भंडार (कंजर्वीटिव क्रेश बफर) नियम लागू करने को छह महीने स्थगित कर दिया। सीसीबी नियम के तहत बैंकों को 0.625 प्रतिशत का अतिरिक्त पूंजी भंडार रखना अनिवार्य होगा। कंजर्वीटिव बैंक ने यह नियम को लागू करने के लिए एक नोटिफिकेशन संकट के चलते लगातार बने दबाव को देखते हुए सीसीबी के 0.625 प्रतिशत के अधिकारी चरण को लागू करने की अंतिम तिथि को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर एक अप्रैल 2021 कर दिया गया है।

कोरोना के कारण इंडिया बैंकिंग सेक्टर की हालत काफी खराब है। उनके सामने जूँ का बढ़ता पहाड़ बहुत बड़ी चुनौती है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि सरकार दूसरी तिमाही के नवीजे आने के बाद बैंकों को 20 हजार

तक के लिये टाल दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, 'कोविड-19 संकट' के चलते लगातार बने दबाव को देखते हुए सीसीबी के 0.625 प्रतिशत के अधिकारी चरण को लागू करने की अंतिम तिथि को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर एक अप्रैल 2021 कर दिया गया है।

रिज़बैंक ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि इस नियम का अनुपालन 30 सितंबर तक होना था। अब इसे एक अप्रैल 2021 कर दिया गया है।



करोड़ का फैंड जारी कर सकती है। इसके अलावा रिज़बैंक के मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक 29 सितंबर से जारी है।

कल गवर्नर शक्तिकांत दास मीडिया से बात करेंगे और इश्य द्वारा लिए गए फैसले के बारे में जानकारी देंगे।

## चीनी मिलें 15 अक्टूबर तक नए माध्यम से इथेनॉल के प्रस्ताव दे सकती हैं: सरकार

नयी दिल्ली। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्र ने चीनी मिलों के लिए 15 अक्टूबर तक एक महीने के लिए एक नए माध्यम की शुरुआत की है, जिसके जरिए वे देश में इथेनॉल मिश्रण की क्षमता तैयार करने के लिए घटी ब्याज दरों पर क्रूण लेने के लिए प्रस्तावित करता है। केंद्र सरकार ने जून 2018 में घोषित प्रोत्साहन योजना के तहत डिस्टिलरी स्थापित करने से यांजूदा इकाई की क्षमता बढ़ाने के लिए चीनी मिलों को घरेलू शेयर बाजारों में शुरुआत गिरावट के साथ हुई है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बेचमार्क ब्रॉड कूर्ड 1.23 प्रतिशत की गिरावट के साथ 41.05 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर चल रहा था। दूसरी ओर विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे बढ़कर 73.76 पर बढ़ रहा है।



# चीन पर एक और वार, अब शिप ब्रेकिंग का धंधा खींचने की तैयारी

नई दिल्ली। एजेंसी

समुद्री परिवहन (Sea Transport) की बात हो या जहाज के निर्माण (Ship Manufacturing) की, भारत सदा से आगे रहा है। 5,000 साल पहले, दुनिया का सबसे पुराना और आधुनिकतम शिपयार्ड (Modern Shipyard), भारत का था। इसके अवशेष आज भी लोथल (Lothal) में मिले हैं। इस क्षेत्र में भारत एक बार फिर से इतिहास दुर्घाने को तैयार है। शुरूआत शिप ब्रेकिंग (Ship Breaking) से हुई है, जिसमें भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ कर चीन को पछाड़ने के लिए तैयार है।

**अब बदल गया शिप ब्रेकिंग उद्योग**

यूनियन शिपिंग मिनिस्टर (Union Shipping Minister) मनसुख मंडाविया

का कहना है कि शिप ब्रेकिंग क्षेत्र पहले काफी बदनाम था। बात मजदूरों के शोषण की हो या पर्यावरण की, हर तरफ से इस पर अंगुली उठती थी। लेकिन अब इस क्षेत्र पर रेगुलेशन (Regulation) हो गया है। अब इस क्षेत्र में न सिर्फ मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है, बल्कि उनके स्वास्थ्य, आवास और बच्चों की शिक्षा आदि का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसलिए आज अलंग के शिप ब्रेकिंग यार्ड (Alang Ship Breaking Yard) में 30,000 लोग काम करते हैं।

**दुनिया का आधा जहाज यहाँ टूटेगा**

मंडाविया का कहना है कि इस समय दुनिया भर में हर साल कीरब 1,000 जहाज काटे जाते हैं। इनमें से 400 जहाज भारत के अलंग में ही काटे जाते हैं। मतलब कि करीब 40 फीसदी कारोबार हमारे पास आ गया है। अब लक्ष्य है कि दुनिया भर से कम से कम 50 फीसदी जहाज कटने के लिए यही आए। उमीद है कि वर्ष 2024 तक यह लक्ष्य पा लेंगे। इसके लिए कानूनी प्रावधान (Legal Provision) कर लिए गए हैं।

**हांगकांग कन्वेंशन को अपनाने से होगा फायदा**  
इंटरनेशनल कन्वेंशन फोर सेफ एंड एनवायरामेंटली साउंड रिसाइकिंग आफ शिप को वर्ष 2009 में अपनाया है। इसी के अनुरूप भारत सरकार ने शिप रिसाइकिंग बिल (Ship Recycling Bill) 2019 को संसद से पारित कराया। इसी से ग्लोबल शिप्स के भारत में टूटने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अब जापान, अमेरिका आदि विकसित देशों के जहाज भी भारत में रिसाइकिल करने की संभावना बनी है। पहले ये देश भारत में अपने जहाज इसलिए नहीं भेजते थे, यहाँ मानकों का पालन नहीं होता है।

**हर तरफ लोहे और लकड़ियों का कबाड़ि**

आप शिप ब्रेकिंग यार्ड का भ्रमण करें तो आपको हर तरफ बड़ी-बड़ी कीरों के सायरन, मशीनों की आवाजें ही सुनाई देगी। आप जहां भी देखें मजदूरों की टोलियां बड़े-बड़े जहाजों को नेस्तानाबूद करती हुई नजर आती

**अलंग शिप यार्ड क्या है**  
गुजरात में वर्ष 1983 के आसापास भावनगर के अलंग में



है। इस शिपयार्ड की सबसे खास बात यह है कि वहाँ अब युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर को भी रिसाइकिल करने की क्षमता विकसित हो गई है। तभी तो अभी अभी आईएनएस विराट वालों रिसाइकिल के लिए भेजा गया है। जिसी ऊंची जगह खड़े होकर देखें तो कई किलोमीटर तक आपको बस बड़े-बड़े जहाज या उनका मलबा ही नजर आएगा।

## सरकार ने चीनी निर्यात की समयसीमा दिसंबर तक बढ़ाई

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने चीनी मिलों को इस साल के लिए आवार्टिं चीनी कोटे का अनिवार्य निर्यात करने के लिए समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर दिसंबर तक कर दी है। खाद्य मंत्रालय बोर्ड एवं वित्त अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। सरकार ने सितंबर को समाप्त होने वाले 2019-

20 के विपणन वर्ष के लिए अतिरिक्त चीनी के निपटान में मदद के लिए कोटा के तहत 60 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है। खाद्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुबोध कुमार सिंह ने न्यूज एंजेंसी को जानकारी दी। सरकार ने सितंबर को अनुबंध हो गया है और मिलों

से लगभग 56 लाख टन चीनी निकल चुकी है। उन्होंने बताया कि इस समय कोविड-19 महामारी के दौरान आवाजाही में कठिनाई के चलते कुछ मिलें अपना स्टॉक भेज नहीं सकती। सिंह ने कहा, “महामारी के दौरान कई मिलों को लॉजिस्टिक संबंधी मुद्दों का सामना करना पड़ा। इसलिए, हमने उन्हें अपना कोटा

निर्यात करने के लिए दिसंबर तक कुछ और समय देने का फैसला किया है।” चीनी मिलों ने ईरान, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका और बांगलादेश जैसे देशों को चीनी का निर्यात किया है। अधिकारिक तौर पर कहा गया है कि इंडोनेशिया में चीनी के निर्यात को लेकर गुणवत्ता संबंधी कुछ मुद्दे थे, जिसका अब समाधान

हो गया है और जिससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिला है। सरकार विपणन वर्ष 2019-20 के दौरान 60 लाख टन चीनी के निर्यात के लिए 6,268 करोड़ रुपये की समिक्षियां दे रही हैं, ताकि अतिरिक्त धरेलू स्टॉक को खस्त किया जा सके और किसानों को गन्ने का भारी बकाया चुकाने में मिलों का मदद मिल सके।

## अप्रैल-अगस्त में जीवन बीमा पॉलिसी लेने वालों में 50 प्रतिशत ने एक करोड़ रुपये या अधिक का कवर लिया

नयी दिल्ली। एजेंसी

कोरोना वायरस महामारी की वजह से बीमा को लेकर जागरूकता बढ़ी है। इसके चलते जीवन बीमा पॉलिसी लेने वाले ज्यादा से ज्यादा ग्राहक एक करोड़ रुपये या इससे अधिक का बीमा कवर ले रहे हैं। पॉलिसीबाजार कॉम द्वारा जुटाए गए अंकड़ों से यह जानकारी मिली है। बीमा मार्केटप्लेस ने कहा कि अप्रैल-अगस्त, 2020-21 के दौरान जीवन बीमा पॉलिसी लेने वाले ग्राहकों में से 50 प्रतिशत ने एक करोड़ रुपये या अधिक का बीमा कवर लिया है। महामारी के दौरान उपर्योक्त अपने परिवर्त का वित्तीय संरक्षण चाहते हैं। पॉलिसीबाजार कॉम ने कहा, “एक करोड़ रुपये या इससे अधिक का बीमा कवर लेने वालों के अंकड़ों की गणना से पता चलता है कि अप्रैल-अगस्त के दौरान

50 प्रतिशत ग्राहक ऐसे रहे जिन्होंने इन्हीं राशि का कवर लिया। इससे पता चलता है कि लोग ऊंचे कवर वाली पॉलिसियों में निवेश कर रहे हैं। ये पॉलिसियों काफी सस्ते दाम

हुई अनिश्चितता तथा भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (ईडा) द्वारा उठाए गए कदमों से अब अधिक से अधिक लोग बीमा पॉलिसी खरीद रहे हैं, जिससे ऐसे

अनिश्चित समय में वे अपने परिवार को वित्तीय रूप से संरक्षण दे पाएं। आंकड़ों वें आधार पर पॉलिसीबाजार कॉम ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में जीवन बीमा बाजार में काफी बढ़ावां आया है। कंपनी ने कहा, “42 से 50 साल के आयु वर्ग के लोगों द्वारा जीवन बीमा पॉलिसी लेने में काफी उछाल देखने को मिला है। इसमें करीब 77 प्रतिशत की उड़ी हुई है। वहाँ 2020 में जीवन बीमा पॉलिसियों में से एक उसके मंच से बेची जाती है। कोविड-19 की वजह से पैदा



**भारतीय जीवन बीमा निगम  
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA**

मासलन 1,000 रुपये मासिक तक में उपलब्ध है।” पॉलिसीबाजार कॉम का दावा है कि देश में बिकने वाली प्रत्येक चार जीवन बीमा पॉलिसियों में से एक उसके मंच से बेची जाती है। कोविड-19 की वजह से पैदा

**सरकार ने वैकल्पिक ईद्धन के लिए मानदंडों को अधिसूचित किया**

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सङ्केत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विभिन्न वैकल्पिक ईद्धन के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। सङ्केत परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री ने एक ट्वीट में कहा, “ऑटोमोटिव में उत्सर्जन घटाने के लिए सीएनजी की तुलना में एच-सी-एनजी (एचडब्ल्यूजेनजी) का 18 प्रतिशत मिश्रण) के इस्तेमाल का परीक्षण करने के बाद, भारतीय मानक ब्यूरो ने हाइड्रोजेन युक्त संपीडित प्राकृतिक गैस (एच-सी-एनजी) के निवेशों को तैयार किया है।”

ऑटोमोटिव ईद्धन के लिए एच-सी-एनजी के इस्तेमाल के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संसोधन की अधिसूचना प्रकाशित की गई है। उन्होंने कहा कि यह परिवहन क्षेत्र में वैकल्पिक स्वच्छ ईद्धन की दिशा में एक कदम है।

